

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

लय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्रीमाधोपुर (सीकर) राज.

मं० मु० अं० बनाम गोपीराम कं०
 वमा दावा नं. 594 सन् 2017

हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तालीम में जारी हुए
<p>24.12.22 हुकम है पेशी देने पर पत्रावली बाब पेश हुई। प्रकरण द्वारा राजस्व प्रत्येक वर्ष के हक होने के कारण वसूल कराने के लिए त्रिंशत् दिनांक 04.3.23 को पेश हो। सहायक कलक्टर (फार्म प्रोसेसिंग) श्रीमाधोपुर (सीकर)</p> <p>23.05.22 पत्रावली पेश हुई। प्रकरण प्रतिकूल उपस्थित। पीठा प्रतिकूल प्रकरण में प्रत्येक प्रीटिंग में है। प्रकरण अनुसार दिनांक 23.05.22 को पेश।</p>	
<p>23.05.22 पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादीगण व पक्षकारान अनुपस्थित। प्रकरण में वकील वादीगण ने न्यायालय के आदेशों व तलबी हेतु वर्ष 2010 से दिये गये 47 अवशरों के बावजूद भी प्रतिवादीगण की तलबी हेतु सम्मन तलबाना आज दिनांक तक भी पेश नहीं किया गया है। अतः वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत खारीज की जाती है। पत्रावली फैशल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।</p> <p>(दिवाणी सिविल) सहायक कलक्टर (फार्म प्रोसेसिंग) श्रीमाधोपुर (सीकर)</p>	